

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।**

आ. सं. :- 8/ज.स.(नि.)देव-10/06 अंश:-

रांची, दिनांक :-

आदेश

श्री सुबोध प्रसाद मंडल, तत्. कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प- 2745 दिनांक 21.10.08 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री मंडल के दिनांक 30.06.2011 को सेवा निवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. में सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 3108

रांची, दिनांक:- 10-06-16

प्रतिलिपि:- उप सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री सुबोध प्रसाद मंडल, तत्. कनीय अभियंता सम्प्रति सेवा निवृत्त पता- ग्राम+ पोस्ट- कोरवाघाट, थाना- पथरगामा, जिला- गोड्डा, झारखण्ड/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay
10/06/16

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

Vinay
10/06/16